

प्रेषक,  
रोहित सिंह,  
विशेष न्यायाधीश आयुर्वेद घोटाला प्रकरण/  
सी0बी0आई0, लखनऊ।

सेवा में,  
श्रीमान प्रशासनिक न्यायमूर्ति,  
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

द्वारा—श्रीमान जनपद न्यायाधीश,  
लखनऊ।

विषय:—सम्पत्ति विवरण वित्तीय वर्ष 2015 से 2017 तक का समय से न भेजे जाने के  
सम्बन्ध में।

महोदय,


ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा वित्तीय वर्ष 2009 से 2015 तक सम्पत्ति विवरण दिनांक 23-04-2018 को जनपद मेरठ में तैनाती अवधि के दौरान प्रस्तुत किया गया था तथा माह मई वर्ष 2018 में प्रार्थी का स्थानान्तरण जनपद मेरठ से जनपद कानपुर नगर के लिये हो गया था। स्थानान्तरण के समय सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक प्रपत्र के मिसप्लेस हो जाने के कारण समय से उपलब्ध न हो पाने से सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

वर्ष 2019 से ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से सम्पत्ति विवरण स्वीकार किया जाने लगा। आरम्भ में समुचित तकनीकी जानकारी के अभाव में ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से सम्पत्ति विवरण प्रार्थी द्वारा प्रेषित नहीं किया जा सका। वर्ष 2020-2021 में माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति द्वारा प्रार्थी के वित्तीय वर्ष 2009 से 2015 तक सम्पत्ति विवरण को भविष्य में समय से प्रस्तुत करने की चेतावनी के साथ स्वीकृत किया गया था, परन्तु वर्ष 2020 में कोविड महामारी के कारण सम्पत्ति विवरण को प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध न हो सके तथा माह दिसम्बर 2021 में प्रार्थी द्वारा वित्तीय वर्ष 2015 से 2021 तक का सम्पत्ति विवरण ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।

माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रार्थी से सम्पत्ति विवरण समय से प्रस्तुत करने में त्रुटि हुई है, परन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त त्रुटि जानबूझ कर कारित नहीं की गयी है, वरन् आरम्भ में स्थानान्तरण व ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक तकनीकी जानकारी के अभाव तथा कोविड महामारी आदि के कारण वांछित दस्तावेज समय से उपलब्ध न हो पाने के कारण विलम्ब कारित हुआ है, जिसके लिये प्रार्थी क्षमा मांगता है।

माननीय महोदय की इस राभी अनुकम्पा के लिये प्रार्थी सदैव आभारी रहेगा।

दिनांक: 09-02-2024

भवदीय  
  
09/02/24  
(रोहित सिंह)

विशेष न्यायाधीश आयुर्वेद घोटाला प्रकरण/  
सी0बी0आई0, लखनऊ।